



भारत सरकार / Government of India  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry  
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (East), Mumbai - 400 096  
टेलि. / Tele. : 022-28294719, फेक्स / Fax : 28291385,  
ई-मेल / E-mail: [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in), वेबसाइट / Website: [www.seepz.gov.in](http://www.seepz.gov.in)



### परिपत्र

क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई के अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी यूनिटों/विकासकों का ध्यान सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उद्यमियों के लिए प्रारंभ किए गए एमएसएमई/उद्यम पंजीकरण पोर्टल की ओर आकर्षित किया जाता है ताकि वे एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ उठा सकें।

उक्त पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित सात चरणों को अपना कर जिसको "सप्तरंगी" का नाम दिया गया है, पूरी की जा सकती है।

इच्छुक उद्यमी तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न सात चरणों की प्रक्रिया पूरी करके एमएसएमई के साथ अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजू कुमार)

सहायक विकास आयुक्त/प्रशासन,

सीपज़-सेज़

सं.सीपज़-सेज़/प्रशासन/जीआइ/588/2020-21/

दिनांक: 10.07.2020

प्रति:-

1. सभी यूनिट/विकासक - क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधीन
2. आइटी अनुभाग - कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए